ST. MONTFORT SR. SECONDARY SCHOOL, BHOPAL

SMS/CIR/2018-2019/ 016 Dt: 16.01.19

Greetings from St Montfort Senior Secondary School, Bhopal

As directed by the DEO, students from Class I to X are requested to take Measles and Rubella Vaccinations. The concerned Health Department will come from tomorrow to vaccinate the students. If you have any objections please send in writing to the concerned class teacher.

[signature]

PRINCIPAL

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / 03 / 3-18 / 2018 / 20--2, भोपाल दिनांक [illegible]

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
2. समस्त जिला परियोजना समन्वयक
   मध्यप्रदेश।

विषयः-- मीजल्स--रूबेला (एम.आर.) अभियान 15 जनवरी 2019 से आयोजन के संबंध में।

---0---

भारत शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2020 तक खसरा (मीजल्स) रोग निर्मूलन एवं रूबेला रोग नियंत्रण किया जाना है। इस हेतु 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को अभियान के रूप में एम.आर. वैक्सीन से टीकाकृत किया जाना है। अभियान के पश्चात् वर्तमान नियमित टीकाकरण सारणी में मीजल्स टीके के स्थान पर एम.आर. वैक्सीन उपयोग की जायेगी।

मध्यप्रदेश में एम.आर. वैक्सीन का उक्त अभियान माह जनवरी 2019 से प्रारम्भ किया जायेगा। अभियान की सफलता हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में उल्लेखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को एक निश्चित कार्ययोजना के तहत चार-पांच सप्ताह की अवधि में एम.आर. वैक्सीन से टीकाकृत किया जायेगा।

इस अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ समस्त विभागीय अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता निम्नानुसार अपेक्षित हैं :-

1- समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं की सूची तथा कक्षावार बच्चों की संख्या का विवरण स्वास्थ्य विभाग को प्रदान करें।

2- विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी. विकास खंड के समस्त शिक्षण संस्थान के प्रमुख को एम.आर. अभियान में भागीदारी हेतु पत्राचार करें।

3- स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म--1 को समस्त शालाओं में भेजकर सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को उपलब्ध करायें।

4- राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर संबंधित शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से एम.आर. अभियान हेतु क्रमशः राज्य टीकाकरण अधिकारी/जिला टीकाकरण अधिकारी/ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के आमंत्रण पर बैठक में सम्मिलित हों।

5- विकास खंड शिक्षा अधिकारी एम.आर.अभियान में जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु शाला प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ नोडल शिक्षक की ब्लॉकवार/शहरी क्षेत्रवार संयुक्त बैठक का आयोजन करें।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल
तुलसी नगर भोपाल
दूरभाष कमांक 2557523 फैक्स–0755–2557550

कमांक / सामान्य / 2019 / 161 भोपाल दिनांक 05 / 01 / 2019

प्रति,

संकुल प्राचार्य , (समस्त)
शास.उ.मा.वि. / हाईस्कूल
जिला–भोपाल

Most Urgent

विषयः– मीजल्स–रूबेला (एम.आर.) अभियान 15 जनवरी 2019 से आयोजन के संबंध में ।

संदर्भ :– सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कमांक / 03 / 2018 / 2018 / 20–2 भोपाल, दिनांक 03.01.2019

::—000—::

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार मीजल्स–रूबेला (एम.आर.) टीकाकरण अभियान के अंतर्गत् कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के अध्ययनरत 05 वर्ष से 15वर्ष तक के समस्त छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रत्येक शाला में जाकर टीकाकरण किया जावेगा । मीजल्स–रूबेला (एम.आर.) अभियान से संबंधित प्रशिक्षण दिनांक 08 जनवरी 2019 को समन्वय भवन, टी.टी.नगर भोपाल में सम्पन्न होगा । प्रशिक्षण कार्यकम में शास0 / अशास0 प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला एवं हाईस्कूल के प्राचार्य / प्रधानअध्यापक / प्रभारी सम्मिलित होंगे । प्रशिक्षण निम्नानुसार विकास खण्ड वार आयोजित किया जावेगा ।

1. समय प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक – विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, पुराना शहर भोपाल अन्तर्गत आनेवाली समस्त (प्रा0 / मा0 एवं हाईस्कूल) शासकीय / अशासकीय शालाएं ।
2. समय प्रातः 11.30 बजे से दोप0 01.30 बजे तक – विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, नया शहर भोपाल अन्तर्गत आनेवाली समस्त (प्रा0 / मा0 एवं हाईस्कूल) शासकीय / अशासकीय शालाएं ।
3. समय दोप0 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक – विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, बैंरसिया जिला भोपाल अन्तर्गत आनेवाली समस्त (प्रा0 / मा0 एवं हाईस्कूल) शासकीय / अशासकीय शालाएं ।
4. समय सायं 4.30 बजे से सायं 6.30 बजे तक – विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक, फनदा ग्रामीण भोपाल अन्तर्गत आनेवाली समस्त (प्रा0 / मा0 एवं हाईस्कूल) शासकीय / अशासकीय शालाएं ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

पृ0कमांक / सामान्य / 2019 / 162 भोपाल दिनांक 05 / 01 / 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल ।
3. कलेक्टर, जिला भोपाल ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल ।
5. सयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग भोपाल ।
6. वी.आर.सी.सी. (समरत) जिला भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण में संबंधित क्षेत्र की आने वाली शास0 / अशास0 शालाओं के शाला प्रभारी / प्रधानध्यापक / प्राचार्य को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु क्षेत्रीय जनशिक्षकों के माध्यम से 07 जनवरी तक देना सुनिश्चित करें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला भोपाल

Scanned by CamScanner

6– समस्त शालाओं में शिक्षक–अभिभावक (PTM) बैठकों का आयोजन कर [illegible] अभियान के प्रति प्रत्येक अभिभावक को संवेदनशील बनायें।

7– समस्त शालाओं को एम.आर. अभियान के प्रति अपने संस्थान में जागरूकता (निबंध लेखन, पोस्टर, चित्रकला, प्रार्थना स्थल पर संकल्प एव टीकों के फायदे बताना इत्यादि) हेतु कार्य करे।

8– बी.आर.सी. संबंधित ब्लॉक/शहरी क्षेत्र में एम.आर. अभियान की कार्ययोजना निर्माण में सहयोग करें।

10– शाला प्रमुख स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करांये गये एम.आर. अभियान आमंत्रण पत्र समस्त अभिभावकों को प्रदान करें।

11– प्रत्येक शिक्षण संस्थान में लाभार्थियों के अनुरूप टीकाकरण हेतु वांछित स्थान, पेयजल, स्वच्छता एवं उचित आवश्यक बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

12– शालाओं में टीकाकरण के दिन टीकाकृत बच्चों की रिपोर्ट तैयार करें एवं अनुपस्थित अथवा छूटे हुये बच्चों की नामवार फार्म–9A, FORM-1 में सूची तैयार कर, संबंधित टीकाकरण टीम को टीकाकरण कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त उसी दिन उपलब्ध करायें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(शोभित जैन)
सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक/04/3018/2018/20–2 भोपाल, दिनांक 03-01-19

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, मध्यप्रदेश
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, मध्यप्रदेश
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश
7. राज्य टीकाकरण प्रकोष्ठ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य सेवाये, मध्यप्रदेश
9. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश
10. एस.आर.टी.एल. डब्लू.एच.ओ., भोपाल, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग